Spread of epidemics in Madhya Pradesh

322. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that killer epidemics are rampant in several Madhya Pradesh Districts as reported in Times of India of 8th August 1991;

(b) if so, what are the details thereof and corrective steps taken or proposed by Government; and

(c) what is the position of similar epidemics in other States in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SMT. D. K. THARADEVI SIDDHARTHA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

ग्रामीण मजदूरों को ऋण-माफी योजना के दायरे में लाया जाना

323. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण मजदूरों को भी 10,000/- रुपए तक के सरकारी ऋणों की माफी के दायरे में रखा है क्योंकि वे किसानों की तुलना में गरीब, असहाय और साधन विहीन हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार ऐसे ऋणग्रस्त व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी थी जो, किसान और कारीगर को छोड़कर, ग्रामीण मजदूर की श्रेणी में आते हैं और उन पर ऋण की कितनी राशि बकाया थी ;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनसे नोटिस देकर या बिना नोटिस दिए ऋणों की वसूली की गई थी ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनकी सम्पत्ति ऋण अदा न किए जाने पर कुर्क की गई थी ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो, तो ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है और इस योजना के अंतर्गत ऋण माफी की राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत माफ किए गए ऋण से है । इस योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से किसानों, बुनकरों, कारीगरों तथा भूमिहीन मजदूरों जिन्होंने कृषि के किसी कार्यकलाप अथवा कारीगरी के किसी कार्य के लिए ऋण लिया है, को इस योजना के अंतर्गत ऋण की राहत दी जाती है । ग्रामीण मजदूर, जो उपायुक्त दी गई श्रेणी के अंतर्गत आता है, इस योजना के अंतर्गत राहत का पात्र हैं ।

(ख) से (घ) जैसाकि उपयुक्त (क) में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण मजदूर, दर्शाई गई सीमा तक योजना के अंतर्गत आते हैं । आंकड़ा सूचना प्रणाली, पूछे गए ढंग से सूचना नहीं देती है । फिर भी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान वसूल की गई राशि 2585 करोड़ रुपए थी ।

(ङ) उपलब्ध कराई गई राहत के अलग से श्रेणीवार आंकडे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सूचना प्रणाली से इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं होती है । फिर भी, 29 जुलाई, 1991 के अनुसार इस योजना के अंतर्गत, किसानों, कारीगरों बुनकरों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों के संबंध में हिताधिकारियों की राज्य-वार संख्या तथा इस योजना के अंतर्गत माफ की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।